राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प
स्थान हाथियाखेड़ी दिनांक 17/5/16

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प हाथियाखेड़ी पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा० पत्र पेश किया। शा० का० हो।

रामकरण

पक्षकारान् को सुना जाकर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम चन्द्रपुरा की भूमि ख० नं० 254, 298, 396, 397, व 395 पर अपना नाम रामकरण उर्फ गुलाबचन्द दुरुस्त किये जाने का अनुरोध चाहा है।

प्रार्थी द्वारा U/S. 136. L.R. Act. 1956 उक्त रिलीफ चाही गई है। ख० नं० 254 पर प्रार्थी का नाम रामकरण 298, 396 व 398 पर गुलाबचन्द, तथा 395 पर गुलाबचन्द अंकित है। प्रार्थी का प्रा० पत्र के मद नम्बर एक में यह कथन है, कि उसका नाम नामान्तरकरण

क्रमशः—

नं. 656 के द्वारा रामकरण के स्थान पर गुलाबचन्द दर्ज कर दिया है। नामा. नं० 656 की COPY भी प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि प्रार्थी के हितों के विपरीत राजस्व रिकार्ड में ऐसी कोई प्रविष्टी अंकित नहीं की गई, जिसे धारा 136. L.R. Act 1956 के प्रावधानों के तहत दुरुस्त किया जा सके। क्योंकि प्रार्थी का नाम भले ही नामान्तकरण दर्ज किया गया है, और नामान्तकरण कार्यवाही के अपील के प्रावधान धारा 75 L.R. Act के तहत किये हुये है। राजस्व अभिलेख में धारा 136 के तहत दुरुस्ती योग्य clarical mistak कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है, और न ही यह त्रुटि बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई है।

इस प्रकार प्रकरण पर सम्यक मनन करने पर यह पाया जाता है, कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र U.S. 136 L.R. Act गवर्न नहीं होता है। अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी चाहे, तो धारा 75. L.R. Act या धारा 88, 89 R.T. Act के तहत कार्यवाही कर वॉन्छित अनुतोष विधि अनुसार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दि० 17.5.16 को लोक अदालत केन्द्र ... पर सुनाया।

(चिन्मयी गोपाल)

उपखण्ड अधिकारी